


181



## न्यायालय मानवीय राजस्व मण्डल मोप्र० निवालियर

प्रकरण क्रमांक

निगरानी /I/ 2015- टीकमगढ़

निगरानी 1403-I-15.

श्री कुमार पंडित शर्मा अधिकारी  
दास आज दि 8/6/15  
प्रस्तुत

विवर  
दस्तावेज़ 8/6/15  
राजस्व मण्डल बनाम

तुलसीदास धर्मदास पुत्रगण मगनालाल  
उर्फ मगना अहिरवार

2. जानकी, दशरथ पुत्रगण हरदास अहिरवार
3. अरुण कुमार, नीरज कुमार पुत्रगण  
तुलसीदास अहिरवार, निवासी- ग्राम-  
उदयपुरा, थाना-जतारा, तहसील-लिधौरा,  
जिला-टीकमगढ़ ....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. आशाराम, पल्टू पुत्रगण भैयालाल अहिरवार,  
निवासी-उदयपुरा, थाना-जतारा, तहसील-  
लिधौरा, टीकमगढ़
2. आर.आई.जी.पी. वर्मा, निवासी-ग्राम-कनैरा,  
तहसील-पलैरा, टीकमगढ़
3. रामकुमार विश्वकर्मा (पटवारी)  
निवासी-चौबेयाना मोहल्ला, मरिजद वाली  
गली, जतारा, टीकमगढ़

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 मोप्र० भू राजस्व संहिता 1959  
के अन्तर्गत प्रस्तुत विलङ्घ आदेश नायब तहसीलदार स्यावनी,  
तहसील-लिधौरा, टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 29/अ-3/13-14  
आशाराम बनाम जानकी आदि आदेश दिनांक 19-12-2014 को  
पारित जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि नकल दिनांक 24-04-2015  
को प्राप्त।



3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—1403—एक / 2015

जिला—टीकमगढ़

तुलसीदास धर्मदास आदि विरुद्ध आशाराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12—02—2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार स्यावनी तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ के प्र.क्र. 29/अ—3/2013—2014 में पारित आदेश दिनांक 19—12—2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला—टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	<p><i>[Signature]</i> (आर.के. जैन) २५/२०१९ सदस्य</p>